

12¹¹/₂₁

वकील डिबिशा उपस्थित। डिबिशा ने
प्रस्ताव पेश किया कि डिबिशा दिनांक 23.03.2012
की पालना सम्मानलय संख्या 1565 दिनांक 12.11.2011
को की जा चुकी है। कारिका की आपसकल
नहीं है, प्रकीण फु शामिल प्रमाण किप
अथ। चूंकि डिबिशा की पालना हो चुकी
है प्रकरण में अब कोई कारिकाई शेष
नहीं है अतः प्रकरण की कारिकाई इती
तर पर ड्रॉप की जाती है प्रमाण
फैसल सुना होकर सूरा जाया वाइकरी
दाखिल इफर है।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)